



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer
Email : rorpcb.kishangarh@gmail.com



RPCB/RO KSG/PUB-391/ 1951

Date: 24-09-24

Sh. Bhupendra Singh Rathore S/o Sh. Virendra Singh,
Village & Post- Baghera,
Tehsil & District Kekri

Sub.- Public hearing for Environmental Clearance for Granite Cluster Mining project,
Total Cluster Area 58.55445 Hectares, Total cluster production capacity 7824052
TPA (ROM), Village Baghera, Tehsil Kekri, District Kekri applied by Shri
Bhupendra Singh Rathore, M.L. No. 61/2020.


Ref.- Office of District Collector & District Magistrate, Kekri letter no. 3449 dated
20/09/2024.

Sir,

In reference to above, please find enclosed a public notice to be published in one
major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news
paper in any case on or before 04/10/2024. The news paper cutting are to be submitted to this office
for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Baghera,
Tehsil Kekri, District Kekri at 10:00 AM on 04/11/2024** for the environmental clearance of your
project.


You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary
report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public
notice.

Yours sincerely


(Nidhi Khandelwal)
SEE & Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
2. The Additional District Collector & District Magistrate, Kekri in compliance of letter no. 3449 dated 20/09/2024.
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.


SEE & Regional Officer



पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

विषय:- श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड़, खसरा संख्या 573, 575 एवं 576, खनन पट्टा संख्या 61/2020, निकट ग्राम बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाईट खनन क्लस्टर कुल क्षेत्रफल 58.55445 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-78,24,052 टीपीए (आर.ओ.एम.) आवेदक श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.3316 (Existing lease area) + 0.7347 (Strip land)=3.0663 हैक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,72,715 टीपीए (आर.ओ.एम.) जो कि खसरा संख्या 573, 575 एवं 576, खनन पट्टा संख्या 61/2020, निकट ग्राम बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला केकड़ी में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र गय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड़ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
 1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी।
 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
 5. तहसील कार्यालय-केकड़ी, जिला-केकड़ी।
 6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला केकड़ी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी के पत्र क्रमांक EC/ JUD./24/3449 दिनांक 20.09.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04/11/2024 को प्रातः 10:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला केकड़ी में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर में दिये जा सकते हैं यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(निधि खण्डेलवाल)

वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी